न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमा नम्बर 66/2019 निर्णय दिनांक 20.11.2019

पितरचन्द पुत्र रामूराम ब्राहम्ण निवासी कितासर बिदावतान तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

————प्रार्थी

1.मालीदेवी पत्नी रामूराम 2 कालीचरण पुत्र रामूराम 3 भगवती पुत्री रामूराम जाति ब्राहम्ण निवासीगण कितासर बिदावतान तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर 4 स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ

————प्रतिवादी

उपस्थिति–

1. श्री कैलाश पारीक अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से ।
2. श्री रणवीरसिंह खीची अधिवक्ता 1 व 2 की तरफ से ।
3. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह प्रार्थना पत्र पितरचन्द ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 आपस में सगे भाई–बहिन है तथा अप्रार्थी संख्या 1 इनकी माता है । प्रार्थी के पिता रामराम के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 22 रकबा 19.13 हैक्टयर मय गैर मुमकिन रास्ता 19.00 हैक्टयर, खेत खसरा नम्बर 11 रकबा 4.36 हैक्टयर, खसरा नम्बर 188 रकबा 11.70 हैक्टयर मय गैर मुमकिन रास्ता 0.0800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 217 रकबा 8.0800 हैक्टयर मय गैर मुमकिन रास्ता 0.100 हैक्टयर रोही कितासर बिदावतान तहसील श्री डूँगरगढ में स्थित है । खेत खसरा नम्बर 22 रकबा 19.1300 हैक्टयर मय गैर मुमकिन रास्ता 0.1900 हैक्टयर में प्रार्थी के पिता रामलाल का 1/6 हिस्सा स्थित था एवं उनकी मृत्यु उपरान्त वादगत रकबा खसरा नम्बर 22 में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का 1/24, 1/24 हिस्सा बराबर दर्ज हो गया । प्रार्थी के पिता स्व रामलाल ने प्रार्थी को आज से 14 वर्ष पहले अलग किया था एवं पारिवारिक विभाजन में प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 22 में स्थित 4/24 हिस्सा कि कृषि भूमि दी थी । उस समय से लेकर आज दिनांक तक वादगत कृषि भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 3 से कई बार खाता विभाजन के लिए कहा परन्तु अप्रार्थीगण ने खाता विभाजन से इंकार करते हुए धमकी दी कि हम तुम्हारी सुधार कर उपजाऊ बनाई भूमि पर कब्जा करेंगे एवं अच्छी कीमत लेकर किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर देंगे । जिसके चलते दिनांक 2.9.2019 को दो अजनबी व्यक्ति ट्रेक्टर लेकर मेरे हिस्सा कि कृषि भूमि पर आये और कहा कि यह भूमि हमने खरीद ली है । हम इस पर कब्जा करेंगे । यही बिनाया प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बिनाय मुखास्यत प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध हासिल है । वादगत खेत प्रार्थी की पैतृक खातेदारी के होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है । अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा वादगत खेत को विकय या हस्तान्तरण करने की धमकी देने से अपूर्तीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में है । अतः प्रार्थन। पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगणों को ज रिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि खेत खसरा नम्बर 22 रकबा 19.13 हैक्टयर मय गैर मुककिन रास्ता 0.1900 हैक्टयर रोही कितासर बिदावतान तहसील श्री डूँगरगढ में प्रार्थी के उतरी तरफ के 4/24 हिस्सा कब्जा नहीं करे ना ही उक्त खेतों का विधिवत विभाजन किया जाने बिना उक्त खेत को विकय, रहन या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे ना ही

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी संख्या 4 उक्त खेत के सम्बन्ध में पेश होने वाले किसी विक्रय पत्र या अन्य किसी दस्तावेज तस्दीक फरमाये ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की तरफ से जबाब पेश किया गया कि प्रार्थी के वादगत खसरा भूमि में मात्र 1/24 हिस्सा है । प्रार्थी के मन में लालच पैदा हो गया है और वो अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का 3/24 हिस्सा की भूमि हडप करना चाहता था जिसकी प्रार्थी ने शुरू से ही अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को धमकियां दे रखी थी इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अपने अपने 1/24–1/24 हिस्से को अलग अलग रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के द्वारा दिनांक 29.1.2019 द्वारा विक्रय किया जा चुका है । प्रार्थी का वादगत खसरा भूमि में 1/24 हिस्सा निहित है और कब्जा काश्त भी 1/24 हिस्से पर है इसलिए प्रार्थी किसी भी प्रकार से 4/24 हिस्से यानि 1/6 हिस्से का विभाजन कराने का अधिकारी नहीं है । प्रार्थी वादगत खसरा भूमि में वर्णित अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का विभाजन अपने पक्ष में चाहा है जो किसी प्रकार से विधिक प्रक्रिया में नहीं आता है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार पेश नहीं हुआ है इसलिए भी खारिज किये जाने योग्य है ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र को ही बहस समझा जावें । जबकि अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी ने जो दावा पेश कर रखा है उस भूमि का अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने विक्रय कर दिया है उसका इंतकाल भी दर्ज हो चुका है । वादगत भूमि के अप्रार्थी संख्या 1 से 3 खातेदार नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी द्वारा जमाबंदी सम्वत 2073–2076 की जमाबंदी प्रस्तुत कर अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त की थी । जबकि जमाबंदी सम्वत 2073–2076 की दूसरी जमाबंदी में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 का नाम विलोपित हो चुका था । उसके स्थान पर अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये विक्रेताओं के नाम जमाबंदी में आ चुके है । प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है । अतः दिनांक 13.9.2019 को इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा को vacant किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 20.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

आदेश सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री गंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2019.12.04 14:03:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: